

कार्यालय आदेश

एतद्वारा राज्य बोर्ड की 20 वीं बैठक दिनांक 23.08.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अन्तर्गत जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले अस्पताला से सहमति एवं प्राधिकार शुल्क हेतु निम्न निर्णय लिये गये हैं:-

1. पूर्व की भांति का शासनादेश संख्या 1033/1(2)/व0ग्रा0वि0/2002-13(20)/2002 दिनांक 29.08.2002 के अनुसार प्राधिकार शुल्क वर्ष 2002 से ही लिया जाये परन्तु पूर्व वर्षों की प्राधिकार शुल्क की देयता में ब्याज का आंगणन न किया जाये। प्राधिकार शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

(अ)	जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले अस्पताल एवं परिचर्चा गृह	प्रथम आवेदन शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
(1)	50 से कम बिस्तर वाले	रु० 500	रु० 500
(2)	50 तथा उससे अधिक किन्तु 200 से कम बिस्तर वाले	रु० 1000	रु० 750
(3)	200 और उससे अधिक किन्तु 500 से कम बिस्तर वाले	रु० 5000	रु० 3500
(4)	500 और उससे अधिक बिस्तर वाले	रु० 7000	रु० 4500
(ब)	जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान हेतु सामुहिक सुविधा वाले संघ	रु० 1500	रु० 700
(स)	जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले अन्य संस्थान जो उपरोक्त "अ" एवं "ब" में सम्मिलित नहीं हैं।	रु० 1500	रु० 700

2. सहमति शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार है। जिसे वर्ष 2016 से लिया जाये। 31.03.2019 तक सहमति शुल्क में भी ब्याज का आंगणन न किया जाये।

क्र. स.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले Health Care Facility (HCF)	सहमति शुल्क	
		प्रथम आवेदन शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
1	50 से कम बिस्तर वाले	रु० 1500	रु० 1000
2	50 तथा उससे अधिक किन्तु 200 से कम बिस्तर वाले	रु० 2500	रु० 2000
3	200 और उससे किन्तु 500 से कम बिस्तर वाले	रु० 7500	रु० 5000
4	500 और उससे अधिक बिस्तर वाले	रु० 10000	रु० 7500
5	जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान हेतु सामुहिक सुविधा वाले संघ	रु० 2500	रु० 2000
6	जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले अन्य संस्थान जो उपरोक्त 1 से 5 में सम्मिलित नहीं हैं	रु० 2000	रु० 1000


3. 01.04.2019 से 31.03.2020 तथा 31.03.2020 के उपरान्त प्रत्येक वर्ष के लिये प्रस्तावित विलम्ब शुल्क का भी अनुमोदन किया गया। जो कि निम्नानुसार है-

क्र. स.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले HCF	विलम्ब शुल्क	
		01.04.2019 से 31.03.2020 तक	31.03.2020 के उपरान्त प्रत्येक वर्ष के लिये
1	50 से कम बिस्तर वाले	रु0 2500	रु0 5000
2	50 तथा उससे अधिक किन्तु 200 से कम बिस्तर वाले	रु0 5000	रु0 10000
3	200 और उससे किन्तु 500 से कम बिस्तर वाले	रु0 10000	रु0 15000
4	500 और उससे अधिक बिस्तर वाले	रु0 15000	रु0 20000
5	जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान हेतु सामुहिक सुविधा वाले संघ	रु0 5000	रु0 10000
6	जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले अन्य संस्थान जो उपरोक्त 1 से 5 में सम्मिलित नहीं हैं	रु0 4000	रु0 7500

इस सम्बन्ध में बोर्ड में कार्यरत स्मरत अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाये।

OFFICE COPY.


(एस0 पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

यूईपीसीबी/एच0ओ0/20वीं बो0 बै0/सा0-06 /2019/7763-1336 दिनांक 05.01.2019

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(तकनीकी), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वैज्ञानिक), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रूड़की/काशीपुर/हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
5. गार्ड फाईल


सदस्य सचिव

0102